न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 06/2023 विविध (भरण-पोषण)

GCMS No. 2023/315

प्रेमशंकर पुत्र श्री गोपीलाल लखारा निवासीः महादेव किराणा स्टोर, अम्बावगढ़ कच्ची बस्ती, एमएमवीएम स्कूल के सामने, उदयपुर

——— अपीलान्ट

बनाम

गोपीलाल लखारा पिता स्व. श्री जगन्नाथ लखारा निवासीः महादेव किराणा स्टोर, अम्बावगढ़ कच्ची बस्ती, एमएमवीएम स्कूल के सामने, उदयपुर। हाल निवासीः C/o श्री जमनालाल लखारा, महालक्ष्मी फोटो स्टूडियों, सदर बाजार, केलवाड़ा, राजसमन्द राज.

——— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22(1)(2) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा जिला उदयपुर(राज.) प्रकरण संख्या 02/2022 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2022

उपस्थितः श्री जयप्रकाश आमेटा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री देवेन्द्र श्रीमाली, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

निर्णय

दिनांकः- 26/5/25

अपीलान्ट द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 22(1)(2) माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा उदयपुर निर्णय दिनांक 14.10.2022 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट प्रेमशंकर के विरूद्ध दिनांक 14.10.2022 को 5,000/- रुपये मासिक भरण-पोषण की राशि रेस्पोडेंट को अदा करने का आदेश पारित किया गया था। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपीलाण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलाण्ट के विरूद्ध रेस्पोडेंट के भरण-पोषण की चढ़ी हुई बकाया राशि एवं निर्णय दिनांक से निर्णित की गई भरण-पोषण की राशि ताफैसला अपीलाण्ट से वसूल नहीं की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट को राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतिमाह 1000/- सामाजिक पेंशन के रूप में प्राप्त होता है तथा बैंक से अच्छा ब्याज प्राप्त होता है। रेस्पोडेंट ने बाजार मे ब्याज पर रूपये चला रखे है, जिससे भी रेस्पोडेंट को 6000/-

जिला कलक्टर
उदयपुर

रुपये प्रतिमाह ब्याज के प्राप्त होते है। विपक्षी द्वारा अपने स्वामित्व एंव खातेदारी की कृषि भमि को अपनी पुत्री के साथ मिलकर बेचान किया है जिससे विपक्षी को लगभग 20 लाख रुपये प्राप्त हुये, उक्त सम्पूर्ण राशि का उपयोग उपभोग भी विपक्षी द्वारा किया जा रहा है। अपीलाण्ट आर्थिक रूप से पूर्ण सक्षम नहीं है तथा एक छोटी किराणे की दूकान लगाकर अपने बाल बच्चों को भरण–पोषण करता है। अपीलाण्ट अपनी परचुनी दूकान से अल्प आय प्राप्त करता है जिस कारण भी अपीलाण्ट रेस्पोडेंट को भरण पोषण राशि अदा करने मे असमर्थ है। अपीलाण्ट का अपना परिवार है जिसकी भी पूरी जिम्मेदारी अपीलाण्ट की है जबकि विपक्षी के उपर किसी प्रकार का कोई ऋण अथवा कर्ज नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी आयं से बढ़कर घर खर्च एवं भरण पोषण के रूप में प्रतिमाह रेस्पोडेंट को राशि अदा की जाती है, अपीलाण्ट अपने ऊपर चढ़ी हुई भरणपोषण राशि को अदा करने में असमर्थ है। रेस्पोडेंट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने भरण–पोषण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते वक्त अपने पेंशन एवं ब्याज की आय को छुपाया है जिससे भी रेस्पोडेंट की बदनियती साफ जाहिर होती है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक से 5000/– रुपये अपीलार्थी से एवं 5000/– रुपये विपक्षी के दूसरे पुत्र श्री लक्ष्मीलाल से दिलाये जाने का निर्णय पारित किया गया है किन्तु विपक्षी द्वारा वसूली की कार्यवाही एवं बकाया भरण–पोषण हेतु सभी कार्यवाही केवल मात्र अपीलाण्ट के विरूद्ध ही अमल में लाई गई है जो कि विपक्षी की अपीलार्थी से द्वेषता व अन्य परिवारजन के बहकावे में आकर की गई कार्यवाही अपने आप में साबित करता है। विपक्षी विगत 15 वर्षो से अपीलार्थी के साथ ही उपरोक्त पते पर रह रहे है तथा इनकी देखभाल, सेवा चाकरी की जा रही है। विगत केवल 1 वर्ष में अपनी पुत्री के बहकावे में आकर अधीनस्थ न्यायालय में भरण–पोषण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलाण्ट के विरूद्ध रेस्पोडेंट के भरण–पोषण की चढ़ी हुई बकाया राशि एवं निर्णय दिनांक से निर्णित की गई भरण–पोषण की राशि ताफैसला अपीलाण्ट से वसूल नहीं की जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट एवं रेस्पोडेंट स्वयं द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट की आयु 75 होकर वृद्ध नागरिक है। रेस्पोडेंट के 2 पुत्र एवं 1 पुत्री है। पुत्री का विवाह होकर अपने ससुराल में निवासरत है तथा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेंट का बड़ा पुत्र अपने–अपने परिवार सहित रेस्पोडेंट के मकान में निवासरत है तथा विपक्षी की पत्नी का स्वर्गवास भी वर्ष 2006 में हो गया है। विपक्षी के पुत्र अपनी पत्नियों सहित विपक्षी के साथ गाली–गलोच, लडाई–झगड़ा करते रहते है। मुझ रेस्पोडेंट का वर्तमान में आय का कोई साधन नहीं होने से एवं अपने पुत्रों द्वारा भरण–पोषण नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय में भरण–पोषण प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2022 को अंतरिम आदेश पारित कर दोनो पुत्रों लक्ष्मीलाल एवं प्रेमशंकर को 4000–4000 रुपये प्रतिमाह भरण–पोषण करने का आदेश पारित किया गया एवं निर्णय अंतिम निर्णय दिनांक 14.10.2022 से 5000–5000 रुपये प्रतिमाह विपक्षी को भरण–पोषण के रूप में दिये जाने का आदेश दिया गया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की पालना नहीं कर माननीय न्यायालय आप में अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय

जिला कलक्टर
उदयपुर

बहाल रखा जावे साथ ही अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेंट के बड़े पुत्र लक्ष्मीलाल से भरण–पोषण की राशि दिलायी जाने का आदेश फरमावें।

उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। दोनो पक्षो द्वारा किये गये कथनो पर मनन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट की आय के रूप में सामाजिक पेंशन से 1000/– प्रतिमाह व ब्याज से प्रतिमाह आय प्राप्त होती है, रेस्पोडेण्ट को भरण पोषण की राशि अपने पुत्रो से प्राप्त करने की आवश्यकता नही है का कथन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट परचूनी/किराणा की दुकान चलाता है एवं परिवार का भरण पोषण भी करता है। अपीलाण्ट द्वारा यह भी कथन किये गये है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पुत्रो को 5000/– 5000/– रूपया प्रतिमाह भरण पोषण हेतु दिये जाने के आदेश दिये गये किन्तु विपक्षी द्वारा वसूली का कार्यवाही एवं बकाया भरण पोषण हेतु सभी कार्यवाही मात्र अपीलाण्ट के विरूद्ध अमल मे लाई गई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निर्णय अपास्त करने एवं अपीलाण्ट के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट के भरण पोषण की चढी हुई बकाया राशि एवं निर्णय दिनांक से निर्णित की गई भरण पोषण राशि ताफैसला अपील अपीलाण्ट से वसूल नही की जावे का अनुतोष चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपने पुत्रो द्वारा भरण पोषण नही किये जाने से रेस्पोडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22(1)(2) माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2022 को निर्णय पारित कर दोनो पुत्रों लक्ष्मीलाल एवं प्रेमशंकर को 5000/– 5000/– रूपये प्रतिमाह भरण पोषण के रूप में दिये जाने के आदेश दिये गये है। रेस्पोडेण्ट एक वरिष्ठ नागरिक है एवं वृद्ध पिता के भरण पोषण का सम्पूर्ण दायित्व उनकी संतानो का है। अपीलाण्ट रेस्पोंडेण्ट के आय को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने मे असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सुसंगत होकर विधि में प्रदत्त नियमो के तहत होने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं हैं।

अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। रेस्पोडेण्ट को हिदायत दी जाती है कि वह दोनो पुत्रों से समान भरण पोषण की राशि प्राप्त करे एवं दोनो पुत्र भी अपने पुत्र धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को सूचनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर